



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

### NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1723/CG/15/2023-ESDW

दिनांक: 02.06.2023

श्री विजय दयाराम के,  
जिला-कलेक्टर,  
जिला- बस्तर,  
जिला कार्यालय परिसर,  
बस्तर, जगदलपुर,  
छत्तीसगढ़- 494001  
ई-मेल: bastar.cg@nic.in


श्री जितेन्द्र सिंह मीणा,  
पुलिस अधीक्षक,  
जिला- बस्तर,  
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,  
जगदलपुर, बस्तर,  
छत्तीसगढ़-496331  
ई-मेल:

विषय: बस्तर संभाग में शांति सुशासन, प्रशासन, और नियंत्रण हेतु सामाजिक प्रस्ताव के संबंध में श्री एस. आर. नेताम, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ का दिनांक 20.04.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री एस. आर. नेताम का दिनांक 20.04.2023 का एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

  
(हरि राम मीणा)  
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री एस. आर. नेताम,  
अध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान,  
रायपुर, छत्तीसगढ़
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की  
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।